

**अनुदान संख्या 17 - कंपनी कार्य मंत्रालय**  
**GRANT No. 17-MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-	113,37,00	69,48,67	-43,88,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			39,45,37
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2,90,00	6,50,00	5,69,76
पूरक	Supplementary	3,60,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			73,64

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	7668.00	3366.25	3120.68
पु.	R.	-4301.75		
मुख्य शीर्ष '3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services			
मू.	O.	3669.00	4025.38	3827.99
पु.	R.	356.38		

(I) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कंपनी कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत 4547.32 लाख रु. की बचत (7668.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी कार्य मंत्रालय की कोयम्बटूर एवं दिल्ली में 21 परियोजना के सफलतापूर्वक प्रतिग्रहण परीक्षण के पश्चात कार्यात्मक के लिए साफ्टवेयर, डिजिटाइजेशन आदि की लागत की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "3475" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण" के अंतर्गत 254.14 लाख रु. की बचत (328.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायालयीन मामलों की वजह से रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 78.15 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3475" - "संयुक्त स्टॉक कंपनियों का विनियमन - कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 390.48 लाख रु. का अधिक व्यय (1642.21 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत एवं मंहगाई भत्ते की अदायगी, कंपनी कार्यालय-21 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वजह से किराया, दरों एवं करों और कार्यालय व्यय में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 64.25 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (80.24 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 360.00 लाख रुपए के पूरक अनुदान का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(I) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Company Affairs" - saving of Rs.4547.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7668.00 lakhs) was due to non-payment of cost of software, digitisation etc. for implementation of Ministry of Company Affairs-21 project in Coimbatore and Delhi due after successful acceptance test.

(II) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure - National Company Law Tribunal (NCLT)" - saving of Rs.254.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.328.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts owing to court cases.

(III) Under one head saving of Rs.78.15 lakhs occurred constituting 28 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "3475" - "Regulation of Joint Stock Companies - Registrar of Companies under Companies Act" - excess of Rs.390.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1642.21 lakhs) was due to payment of leave travel concession and dearness allowance, increase in rent, rates and taxes and office expenses owing to implementation of Ministry of Company Affairs-21 project.

(II) Under one head excess of Rs.64.25 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.80.24 lakhs) constituted 22 percent of the supplementary grant of Rs.360.00 lakhs obtained in March, 2006 and 12 percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '5475'	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	290.00	576.36	569.76	-6.60
पू.	S.	360.00			
पु.	R.	-73.64			
(I) "अन्य व्यय - भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसरों/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण के अंतर्गत 290.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 360.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 650.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि जो, कंपनी रजिस्ट्रार के विभिन्न कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद के मूर्त रूप न ले पाने के कारण 80.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।	(I) Under "Other Expenditure – Purchase of land/building/construction of office Premises/residential accommodation for staff" – the original provision of Rs.290.00 lakhs was augmented to Rs.650.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.360.00 lakhs which, however, remained unutilised to extent of Rs.80.24 lakhs - due to non-materialisation of purchase of land for different offices of Registrar of Companies.				